

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(PHED)2021/एफसीए/प्रमुखसं/1329

दिनांक 23/08/25

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Diversion of 9.5611 ha of forest land in favour of Executive Engineer water Resource Dholpur for Constrution of KALITEER LIFT SCHEME, DHOLPUR (RAJASTHAN) (FP/RJ/WATER/153642/2022)

संदर्भ:-भारत सरकार द्वारा जारी EDS दिनांक 26.11.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी ई.डी.एस. दिनांक 26.11.2024 के क्रम में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर द्वारा जवाब प्राप्त हुआ है जो इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार प्रेषित है:-

क.सं.	लगाये गये आक्षेप	पलना रिपोर्ट
1.	केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रस्तावित वनभूमि राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव अभ्यारण्य एवं धौलपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र का भाग है, इसलिए राज्य शासन से अनुरोध है कि प्रस्ताव में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करें एवं इस कार्यालय को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से प्राप्त अनुमोदन की प्रति प्रेषित करें।	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से प्राप्त अनुमोदन की प्रति एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रति पालक से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति संलग्न है।
2.	सी.ए. एस्टीमेट हेतु दिये गये दस्तावेजों में सी.ए. क्षेत्र 50.00 हैक्टर दर्शाया गया है। सी.ए. क्षेत्र उपयुक्ता प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि 14.8859 हैक्टर दर्शायी गयी है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण दे।	सी.ए. एस्टीमेट (क्षेत्र 14.8859 है0) की प्रति संलग्न है।

भवदीय,

(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर